न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—134/2016/223 (2016/000134)

1. काना पुत्र स्व0 सल्ला, जाति रावत, निवासी ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती ईदी पत्नि स्व0 नसीर खां,
2. सहफूल पुत्र स्व0 नसीर खां,
3. शकील पुत्र स्व0 नसीर खां,
4. अयूब पुत्र स्व0 नसीर खां,
5. इकबाल पुत्र स्व0 नसीर खां,
6. फिरोज पुत्र स्व0 नसीर खां,
7. शकिला पुत्री स्व0 नसीर खां,
8. सजीदा पुत्री स्व0 नसीर खां,
9. सब्बा पुत्री स्व0 नसीर खां,
10. खातून पुत्री स्व0 सरदार खां,
11. सलमा पुत्री स्व0 सरदार खां,
12. सोरोज पुत्र स्व0 सरदार खां,
13. जनी पुत्री स्व0 बहादुर खां,
14. सानूर पुत्र स्व0 बहादुर खां,
15. लाला खां उर्फ शकूर खां पुत्र स्व0 बहादुर खां,
16. बशीर खां पुत्र स्व0 बहादुर खां,
17. मनवर खां पुत्र स्व0 बहादुर खां,
18. हबीब खां पुत्र स्व0 छोटू खां,

    समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम श्रीनगर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

20. मु0 केसी पत्नि स्व0 हरजी,
21. शंकर पुत्र स्व0 हरजी,
22. छोटू पुत्र स्व0 हरजी,
23. मोटा पुत्र स्व0 हरजी,
24. भंवरी पुत्री स्व0 हरजी,
25. कमला पुत्री स्व0 हरजी,
26. रमती पुत्री स्व0 हरजी,
27. भोली पुत्री स्व0 हरजी,
28. बन्ना पुत्र स्व0 सल्ला,
29. केशी पुत्री स्व0 सल्ला,
30. बाली पुत्री स्व0 सल्ला,
31. बाली पुत्री स्व0 सल्ला,
32. बाबूलाल पुत्र स्व0 उगमा,
33. नाथी पुत्री स्व0 उगमा,

    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम श्रीनगर, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 12.12.2015 अंतर्गत वाद संख्या 128/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 14.
3. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 30
4. रेस्पो0 संख्या 1 से 13, 15 से 18, 20 से 29 एवं 31 से 35 अनु0 ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 19.

निर्णय

दिनांकः— 22.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0धि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू0राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि ग्राम श्रीनगर में स्थित खसरा नंबर 1841 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह जिसके हाल खसरा नंबर 4105 रकबा 0.05 है0 बने है जो वादी/अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पो0 की पुश्तैनी खातेदारी का चाह है जिससे वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी अपने खेतों की सिंचाई करते आ रहे है किन्तु बंदोबस्त अधिकारियों ने गैर कानूनी तौर पर उपरोक्त चाह में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी का नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है जबकि वर्किंग जमाबंदी में उक्त चाह पर वादी के पिता हीरा उर्फ सल्ला पुत्र माला का नाम दर्ज था । इसी प्रकार चौसाला जमाबंदी में भी खाता संख्या 438 संवत् 2024 से 2027 में वादी के पिता का नाम दर्ज था किन्तु हाल जमाबंदी में गलत तौर पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी जो कि सल्ला के वारिसान है उनका नाम दर्ज करना छूट गया है । अतः वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को उक्त चाह में उनके हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे व असल प्रवितादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी/अपीलांट व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उक्त चाह से अपने खातेदारी खेतों की सिचिंत करने दे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.12.2015 को वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार पर अपीलांट के वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किया जबकि वादी व प्रतिवादीगण का कोई राजीनामा या सहमति नहीं थी । ऐसी स्थिति में वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में कन्टेस्टिंग केस को निर्णित करने में अधी0न्याया0 ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया है जबकि उक्त वाद कभी भी साक्ष्य हेतु नियत नहीं था जबकि दिनांक 12.12.2015 को भी उक्त वाद वास्ते जवाब हेतु नियत था । अधी0न्याया0 ने इस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज किया कि आराजी मुतनाजा चाह वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की पुश्तैनी चाह भूमि है जिस चाह से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण अपने हस्से अनुसार अपने खेतों की सिंचाई करते है। इस तथ्य की पुष्टि में वादी ने वर्किंग जमाबंदी व चौसाला जमाबदीं व हाल जमाबंदी पेश की है जिसमें वादी के पिता हीरा उर्फ सल्ला पुत्र माला का नाम दर्ज है किन्तु पटवारी ने हाल जमाबंदी बनाते समय सल्ला का नाम छोड़ दिया है जबकि वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का उक्त चाह में हिस्सा है जो पूर्व जमाबंदी के अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की विवेचना किये बिना वाद सरसरी तौर पर निरस्त किया है । इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरअदांज किया कि प्रतिवादीगण ने वाद के वाद का कोई प्रतिवाद पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादी का वाद विपक्षी के प्रतिवाद पेश नहीं करने के कारण पूर्णतया सिद्ध था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि वादी का वाद वास्ते जवाबदावा प्रतिवादीगण दिनांक 7.12.2015 को नियत था किन्तु दिनांक 7.12.2015 को अवकाश होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.12.2015 नियत की गई व दिनांक 12.12.2015 को वादी व वादी के अधिवक्ता को बिना सूचना दिये प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर बिना किसी आधार के वाद को खारिज कर दिया जिससे वादी/अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय दिनांक को नहीं हो सकी थी । अपीलांट को अपने अधिवक्ता से वाद की प्रगति के बारे में जब कोई सूचना नहीं मिली तब प्रार्थी ने दिनांक 15.2.2016 को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में जाकर अपने केस में जानकारी की तब वादी को वहां के रीडर ने बताया कि दावा दिनांक 12.12.2015 को ही खारिज हो चुका है । तब अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 16.2.2016 को नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 14 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि हाल व वर्किंग जमाबंदी में कभी भी वादी के पूर्वज हीरा उर्फ सल्ला पुत्र माला के नाम दर्ज नहीं रही है । वर्किंग जमाबंदी में उक्त चाह के खाते में हीरा उर्फ सल्ला पुत्र माला के नाम का नोट अवश्य अंकित है जिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उक्त नोट किस आदेश से लगाया गया है इस संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है । राजस्व अभिलेख में इंद्राज परिवर्तन केवल मात्र नामांतकरण के माध्यम से ही होते है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट का कथन है कि वर्किंग खसरा नंबर 1841 रकबा 00–6–00 बिस्वा किस्म गैर मु0चाह जिसके हाल खसरा नंबर 4105 रकबा 0.05 है0 बने है । उक्त चाह खसरा नंबर वादी के पिता एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता के नाम दर्ज था किन्तु दौराने बंदोबस्त राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपरोक्त चाह प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो विधिविरूद्ध इंद्राज है । वर्किंग जमाबंदी में चाह खसरा नंबर 4105 रकबा 0.05 है0 भूमि वादी/अपीलांट के नाम दर्ज नहीं है । केवल मात्र वर्किंग जमाबंदी में उक्त चाह के खाते में हीरा उर्फ सल्ला पुत्र माला के नाम का नोट अंकित है जिस पर किसी अधिकारी अथवा राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर भी नहीं है । यही नहीं उक्त नोट किस आदेश से अंकित किया गया है इस संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है कि राजस्व अभिलेख में परिवर्तन के सभी इंद्राज नामांतकरण के माध्यम से ही होते है किन्तु हस्तगत नोट पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उक्त नोट किस आदेश या नामांतकरण से अंकित किया गया है इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं है । इसी कारण बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल जमाबंदी में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का नाम अंकित नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर